कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

(07836–232721 (कार्या.), 232722(फैक्स), (Email ID: Korea.cg@nic.in)

––::आदेश::––

बैकुण्ठपुर, दिनांक 29/05/2020

क्रमांक/5222/एस.डब्ल्यू./2020 ::–– कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1543/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 19.03.2020, क्रमांक/1583/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक/1696/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक/1886/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 14.04.2020, आदेश क्रमांक/3076/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 03.05.2020 एवं आदेश क्रमांक/3992/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 17.05.2020 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित कर संपूर्ण जिले में 16 अगस्त 2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत धारा 144 लागू की गई है।

2– गृह मंत्रालय भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 17.05.2020 में दिये गये निर्देश के अनुक्रम में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पिड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ0ग0 शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि COVID-19 के संम्भाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सामाजिक/शारीरिक दूरी (Social/Physical Distancing) को अपनाया जा रहा है।

3– कोरिया जिला अन्तर्गत **प्रतिबंधित वस्तुओं/सेवाओं/अन्य गतिविधियों का विवरण** :–

I. सभी प्रकार की घरेलू एवं अन्तराष्ट्रीय हवाई यातायात (स्वास्थ्य सेवांओं एयर एम्बुलेंस सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त एवं समय–समय पर निर्देशित सेवाओं को छोड़कर) प्रतिबंधित है।

II. मेट्रो रेल सर्विसेंस प्रतिबंधित है।

III. सभी प्रकार के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि बंद रहेंगें, लेकिन ऑनलाईन शिक्षा संबंधी कक्षाएं जारी रहेंगी।

IV. सभी प्रकार के होटल (स्वास्थ्य, पुलिस, स्वाथ्य कर्मियों, पर्यटकों एवं क्वारेन्टिन सुविधा में संलग्न होटलों को छोड़कर) बंद रहेंगे।

V. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, पार्क, थियेटर, बार, सार्वजनिक भवन एवं अन्य सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे।

VI. सभी प्रकार की सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरजंक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन प्रतिबंधित है।

VII. सभी प्रकार के धार्मिक स्थान आमजनों के लिए बंद रहेंगे और धार्मिक आयोजन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

VIII. सभी यात्री रेल (सुरक्षा एवं गृह मंत्रालय द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर) प्रतिबंधित है।

Scanned with CamScanner

IX. लोकहित में अंतर्राज्यीय संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, यात्री बस/सिटी बस/टैक्सी/ऑटो/ई–रिक्शा के संचालन को आगामी आदेश पर्यन्त, स्थगित किया जाता है। विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य से बाहर आवागमन हेतु सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य शासन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति प्रदान की जावेगी।

X. अन्तर्राज्यीय सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित है।

XI. अन्तर्राज्यीय व्यक्तिगत यातायात (मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर) प्रतिबंधित है।

XII. पान ठेले पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे तथा पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट–बीड़ी इत्यादि का विक्रय, उपभोग/सेवन प्रतिबंधित रहेगा।

4– कोरिया जिला अन्तर्गत **प्रतिबंध से बाहर रखे गए प्रतिष्ठानों/सेवाओं की सूची निम्नानुसार है:–**

1. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी
2. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कालेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं)
3. दवा दुकान, चश्में की दुकान एवं दवा उत्पादन की इकाई एवं संबंधित परिवहन
4. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवायें
5. खाद्य पदार्थ, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय/वितरण/भंण्डारण/परिवहन की गतिविधियां।
6. दुग्ध संयत्र (मिल्क प्लांट)
7. न्यूज पेपर हॉकर **सुबह 7.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक।**
8. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता **सुबह 7.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक।**
9. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, ए.टी.एम. वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें/सेवायें, जो इस आदेश में उल्लेखित हो, को परिवहन करने वाले वाहन।
10. बिजली, पेयजल पूर्ति एवं नगरपालिका सेवायें
11. जेल
12. अग्निशमन सेवायें
13. ए.टी.एम.
14. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवायें/आई.टी. आधारित सेवायें, मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें
15. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एल.पी.जी./सी.एन.जी. गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां
16. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई–कामर्स आपूर्ति
17. आवश्यक शासकीय सेवायें।
18. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियां (निजी एजेंसियों सहित)
19. प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया
20. राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा।
21. (अ) जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्था/ईकाइयों एवं खान (Mining) को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
    (ब) समस्त औद्योगिक संस्था/ईकाइयों जिन्हे उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही

Scanned with CamScanner

कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगी।

पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4049/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 20.05.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये जिला कोरिया अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों की अनुमति निम्न दिवसों/समय में प्रदान की जाती है:-

क्षेत्र - मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, झगराखाण्ड, लेदरी, खोंगापानी - (दिन - सोमवार से शनिवार)

कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें।
(सप्ताहिक बंदी दिन रविवार)

क्षेत्र - बैकुण्ठपुर, सोनहत, खड़गवां, भरतपुर - (दिन - रविवार से शुक्रवार)

कपड़ा दुकान (ट्रायल रूम का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।), जूता, पेंट, प्लाई तथा मोबाईल दुकानें, फर्नीचर, टेलरिंग मटेरियल, जनरल स्टोर, ज्वेलरी, बर्तन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स और मोटर शो-रूम, मोटर पार्ट्स, ऑटोमोबाईल एवं ऑटोपार्ट्स की दुकानें, कम्प्युटर, टायर दुकानें।
(सप्ताहिक बंदी दिन शनिवार)

क्षेत्र - समस्त सीमाक्षेत्र जिला कोरिया-

- सीमेंट/सरिया से संबंधित हार्डवेयर की दुकानें, बिजली की पंखे की दुकान, छात्रो के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकानें एवं प्रिपेड मोबाईल रिचार्ज की दुकानें
- प्रिन्टिंग प्रेस/फ्लैक्स।
- फोटो स्टूडियों।
- सभी प्रकार की मिठाईयां (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)।
- चाट/गोलगप्पे/लिट्टी चोखा/फास्ट फूड/अन्य ठेले (केवल पार्सल बेचने की अनुमति)। **(टीप- प्रत्येक ठेले की दूरी कम से कम 20 फीट की होगी।)**

उपरोक्तानुसार समस्त दुकानों/सेवाओं के संचालन का समय प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 6.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। जिला के सीमा अन्तर्गत संचालित समस्त दुकानें सप्ताह में 06 दिन खुलेंगी तथा नियमानुसार एक दिन का सप्ताहिक बंदी होगा। उपरोक्त दुकानों के अतिरिक्त शेष दुकानों/संस्थानों के संचालन का समय पूर्ववत रहेगा।

- डेयरी दुकानों तथा दुध का व्यापार हेतु दुकानों/सेवाओं के संचालन का समय **प्रातः 07.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है।**

5- कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के आदेश क्रमांक/170/तक./टीसी/2020 रायपुर दिनांक 27.05.2020 में दिये गये निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर-जिला में आवागमन के लिए टैक्सी/ऑटो के परिचालन हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन अनुमति दी जाती है:-

Scanned with CamScanner

- अंतर–जिला टैक्सी/ऑटो के परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई–पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- ऑनलाईन ई–पास के बिना अंतर–जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नही होगी।
- टैक्सी/ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारन करना, स्वच्छता एवं सोशल–फिजिकल डिस्टेसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाईजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

6– **व्यक्तियों की सुरक्षा और उनकी सुरक्षा के उपाय –**

- सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आवाजाही सायं 7.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।
- आवश्यक आवश्यकताओं एवं स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह–रूग्णता वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घर पर ही रहेंगे।
- ओ.पी.डी. और मेडिकल क्लिनिक खुले रहेंगे (कन्टेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर)

7– **कंन्टेनमेंट जोन में गतिविधियां –**

- सक्त परिधि नियंत्रण।
- स्पष्ट प्रवेश और निकास बिन्दुओं की स्थापना।
- केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने एवं आपात चिकित्सा स्थितियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही होगी।
- बिना चिकित्सीय परीक्षण के लोगो की आवाजाही तथा परिवहन नहीं होगा।
- इस परिधि में लोगों के आवागमन का अभिलेख तैयार करना आवश्यक होगा।

8– **आरोग्य सेतु एप –**

- स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय–समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा।
- स्वास्थ्यगत दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आमजनों को अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समय–समय पर अपडेट करना अनिवार्य होगा।

9– जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक/3406/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 08.05.2020 के माध्यम से जिले मे माह मई 2020 में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11.00 बजे सोमवार सुबह 6.00 बजे तक पूर्णतया तालांबदी (लॉकडाउन) किया गया था। उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

10– समस्त वैवाहिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोगों की तथा अंत्येश्ठी में अधिकतम 20 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। **उक्त अनुमति संबंधित जिले के अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।**

11– उपरोक्त गतिविधियों की अनुमति निर्धारित शर्तो के अध्याधीन प्रदान की जाती है:–

Scanned with CamScanner

सार्वजनिक स्थल

I. सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा।
II. सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
III. कोई भी संस्था/सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नही देगा।
IV. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा।
V. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी के उपभोग/सेवन की अनुमति नही होगी।
VI. शराब इत्यादि के विक्रेताओं को दुकानों में उपस्थित व्यक्तियों के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी बनाये रखे जाने की अनिवार्यता होगी तथा एक समय पर दुकान में 05 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नही रहेंगे।

कार्य स्थल

I. कार्यस्थलों के समस्त प्रभारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय के जारी गाईडलाईन अनुसार कार्यस्थल एवं कम्पनी परिवहन दोनों स्थनों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे।
II. समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए।
III. कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के साथ 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजन अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए।
IV. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह–रूग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये।
V. समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे।
VI. बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी।
VII. आस पास के अस्पताल एवं क्लीनिक जो कोविड 19 के उपचार के लिये अधिकृत हो को चिन्हित कर इसकी सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यस्थल पर किसी कर्मचारी में कोविड–19 के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिन्हित अस्पताल में ले जाया जायेगा।

विनिर्माण ईकाइयां

I. सार्वजनिक सतहों की बार–बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए।
II. पालियों की ओवर–लैपिंग ना हो तथा कैंटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे–पीछे रखा जाए।

Scanned with CamScanner

III. अच्छे स्वच्छता की आदतों से भली–भांती परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये।

- पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से जिले के भिन्न–भिन्न क्षेत्रों में कोरोना पाजिटिव पाये जाने के कारण कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त कन्टेनमेंट जोन से संबंधित जारी आदेश यथावत् रहेंगी।
- स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेशिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी शेष निर्देश यथावत रहेगे।
- पूर्व में अप्रभावित क्षेत्र के रेड/हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।

<u>दंडिक प्रावधान :–</u>

इस आदेश में उल्लेखित गतिविधियों के संबंध में कोरोना वायरस (कोविड–19) की रोकथाम हतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लाकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगें।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(सत्य नारायण राठौर)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/5223/एस.डब्ल्यू./2020 — बैकुण्ठपुर दिनांक 29/05/2020

प्रतिलिपि :–

01– अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02– प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य कर विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
06– आयुक्त (रा0), सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
07– पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
08– आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

Scanned with CamScanner

09– पुलिस अधीक्षक, कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

10– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ

11– अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

12– अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

13– सर्व मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

14– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

15– अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चिरिमिरी/बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

16– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

17– समस्त तहसीलदार एव नायब तहसीलदार जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

18– सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

19– आयुक्त, नगरपालिक निगम, चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

20– सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

21– जिला आबकारी अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

22– सर्व कार्यालय प्रमुख जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

23– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ0ग0)

DISTRICT MAGISTRATE
Distt. Korea (C.G.)

29/5/20

Scanned with CamScanner